न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर।

अपील संख्या-159/2014

1- रामचन्द्र ॥
2- रिछपाल ॥ पुत्रगण मोहन जाति जाट निवासी कंवरपुरा तहसील धोद जिला सीकर ।
3- भंवरलाल ॥
4- बिरजूराम ॥
5- महेश ॥
6- जमनी बेवा ॥
7- हरलाल पुत्र फता राम
8- मूलचन्द पुत्र फता राम

तहसील धोद जिला सीकर ।

--अपीलान्टस---

---बनाम---

1- सुखदेवाराम पुत्र बालूराम जाति जाट निवासी कंवरपुरा तहसील धोद जिला सीकर॥राज0॥
2- मुकन्दा पुत्र सींवाराम ॥
3- हरिराम पुत्र हणमान ॥
4- भागीरथ पुत्र हणमान ॥ समस्त जाति जाट निवासीगण कंवरपुरा तहसील धोद जिला सीकर।
5- कन्हैयालाल पुत्र हणमान
6- रामदयाल पुत्र हणमान ॥
7- दाना पुत्र बालुराम ॥
8- बनवारी पुत्र बालुराम ॥
9- नेमीचन्द पुत्र परसा ॥
10-पतासी बेवा परसा
11-शिवभगवान पुत्र बालुराम ॥
12- तहसीलदार धोद तहसील धोद जिला सीकर ।

--रेस्पोन्डेन्टस--

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधि...

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक
12-12-2014 द्वारा उप खण्ड
अधिकारी, धोद ।
---0---

उपस्थिति-

1-श्री भागीरथमल जाखड एडवोकेट- अपीलान्ट
2-श्री प्रभातीलाल एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट
3-श्री अमरसिंह सूण्डा एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 16.7.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक/रेस्पोडेन्ट सं0-1 योग्य अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-25(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कंवरपुरा में आराजी ख0नं0 43 से 49, 51, 52, 94, 95, 196, 234, 237, 1146/50 कुल किता-15 रकबा 11.56 हैक्टर अवस्थित है जिसमें 1/5 हिस्सा का आवेदक रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजीयात का सभी सहखातेदारों ने आपस में विभाजन कर रखा है ।जिसमें आवेदक के हिस्से में ख0नं0 234 रकबा 1.40 हैक्टर सम्पूर्ण आया है । जिसमें आने जाने व पशुधन को लाने व ले जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है।आवेदक बडी मुश्किल से खसरा नं0 233 व मूल ख0नं0 242 के पूर्व दिशा में अवस्थित आम रास्ता से ही अपने खेत ख0नं0 234 में आता है। किन्तु उक्त दोनों खसरा नम्बरों के खाते-दार काश्त कर लेते हैं तो आवेदक का आना जाना बन्द कर देते हैं। जिसके कारण आवेदक अपनी कृषि भूमि की काश्त नहीं कर पाता है। इस कारण आवेदक को 18 फिट चौडा रास्ता ख0नं0 234 में आने जाने के लिये दिया जावे ।मूल ख0नं0 242 के विभाजित खसरा नं0 1256/242, 1257/242, 1258/242, 1259/242 दर्ज किये गये। जिनमें से ख0नं0 1256/242 का खातेदार अनावेदक संख्या-1 है तथा 1257/242 का खातेदार अनावेदक संख्या-2 से 7 एवं मृतक सांवलराम जो अविवाहित

फौत हो चुका । जिसके वारिस0 भी अनावेदक सं0-2 से 7 हैं ।ख0नं0 1258/242 के खातेदार अनावेदक संख्या-8 व 9 है तथा इनकी माता उमली है जिसका स्वर्ग -वास हो चुका ।ख0नं0 233 का खातेदार अनावेदक संख्या- 10 से 13 है।इनके उक्त खसरा नम्बरों में से रास्ता दिलाया जावे । अदालत मातहत ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया। रेस्पो0 संख्या-1 व अन्य सहखातेदारों की संयुक्त पैतृक सम्पत्ति खसरा नं0 232, 233 234 संयुक्त खातेदारी की है, जो मुख्य सडक से जुडी हुई है । तथा ख0नं0 233 व 232 सहहिस्सेदारी की भूमि में से ख0नं0 234 में आवागमन होता रहा है । इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या-1 को रास्ते की कोई आवश्यकता नहीं है ।इस कारण रेस्पोडेन्ट सं0-1 को रास्ते की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलान्ट की भूमि ख0नं0 1258/242, 1257/242 में से होकर रेस्पोडेन्ट संख्या-1 का कभी कोई रास्ता नहीं रहा है । महज पार्टी बाजी की वजह से अपीलान्ट के उक्त भू-खण्ड में से अपीलान्ट को हैरान व परेशान व अनुचित नुकशान पंहुचाने के लिए नया रास्ता निकालने का झुठा प्रार्थना पत्र पेश कर दिया जिस पर योग्य अदालत मातहत ने बिना किसी आधार के स्वीकार कर चाहा गया रास्ता कानून के विपरित रेस्पोडेन्ट संख्या-1 को दिया है ।मुख्य सडक रेस्पोडेन्ट की पैत्रिक भूमि से जुडी हुई है । और रेस्पोडेन्ट संख्या-1 की पैतृक भूमि से मुख्य सडक जुडी होने से रेस्पोडेन्ट संख्या-1 को कोई नया रास्ता दिये जाने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है ।अपीलान्ट के उक्त खेतों में से रेस्पोडेन्ट का न तो पहले कभी रास्ता रहा है और ना ही आज है अदालत मातहत ने अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बरों में से रास्ता दिये जाने का आदेश विधि विरूद्ध पारित किया है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि गत ख0नं0 69 से हाल खसरा नंम्बर 231 से 234 बने हैं । जिसमें गत ख0नं0 69 हनुमान, बालू पि0 पन्ना की खातेदारी में दर्ज है । नकल नक्शा में ख0नं0 231 से 233 की पूर्वी सींव के सहारे सहारे सडक लग रही है । जब इन्होने इस आराजी का बंटवारा किया तो रास्ता खसरा न0 231 से 233 में से ही लिया जाना चाहिये था। मेरी खातेदारी में से रास्ता गलत मांगा है । अदालत मातहत ने इस तथ्य पर कोई गौर न कर आदेश पारित किया है ।जबकि सर्व प्रथम यह देखा जाना चाहिये था कि ख0नं0 231 से 234 गत ख0नं0 69 से बने है, जो रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 11 के पूर्वजो की खातेदारी में दर्ज रहे हैं ।अदालत मातहत ने इस बिन्दू पर कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है । अपीलान्ट को सुनवाई का भी कोई समुचित अवसर नहीं दिया ।अदालत मातहत ने रेस्पोडेन्ट को उनकी पैत्रिक आराजी में से रास्ता नहीं देकर अपीलांट की खातेदारी में से रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया है वह गलत है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में अदालत मातहत के निर्णय को उचित एवं विधिक ठहराते हुये कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के खेत में आने जाने के लिये प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है ।मौका रिपोर्ट में अदालत मातहत ने जो रास्ता दिया है। उसके लिये सिफारिश की है । इस रास्ते के अलावा अन्य कोई सही रास्ता ख0नं0 234 में आने जाने के लिये नहीं है ।अपीलान्ट ने अपील में कथन किया कि उन्हे सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया यह कथन गलत है । अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया ।मौका रिपोर्ट पर आपत्ति आने पर आपत्ति का निस्तारण उभयपक्षों को सुनकर किया

गया है । जो रास्ता दिया गया है । रेस्पोडेन्ट उसी रास्ते से सदा से आता जाता रहा है किन्तु जब अपीलान्ट काश्त कर लेते हैं जब इस रास्ते को बन्द कर देते हैं जिससे हमें हमारे खेत ख0नं0 234 की काश्त करने मे परेशानी होती तथा कई बार तो काश्त भी नहीं कर पाते । अदालत मातहत ने मौका रिपोर्ट का अवलोकन कर सभी तथ्यों पर गौर करने के बाद अपना निर्णय दिया है जिसमे किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई ।पत्रावली का अवलोकन किया गया । जमाबन्दी सं0-2069 से 2072 में ख0नं0 234 रकबा 1.40 हैक्टर अन्य खसरा नम्बरों के साथ रेस्पोडेन्ट संख्या-1 सुखदेवाराम पुत्र बाधुराम के साथ अन्य सह खातेदारों के नाम दर्ज है । खसरा नम्बर 231 से 233 की खातेदारी रेस्पो0 सं0-3 से 6 एवं इनकी माता मोहरी के नाम दर्ज है । ख0नं0 1256/242 की खातेदारी रेस्पोडेन्ट सं0-2 के नाम, ख0नं0 1257/242 की खातेदारी अपीलांट संख्या-1 से 6 के नाम दर्ज है ।ख0नं0 1258/242 की खातेदारी अपीलान्ट सं0 7, 8 व इनकी माता के नाम दर्ज है ।नकल नकशाका अवलोकन किया गया । जमाबन्दी सं0 2017 से 2020 में ख0नं0 69 की खातेदारी रेस्पोडेन्ट सं0-1 से 11 के पूर्वज हणमान व बाधुराम पि0 पन्ना के नाम दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत ख0नं0 69 मीन से हाल ख0नं0 231 से 234 बने हैं । पत्रावली का अवलोकन करने पर आया गत ख0नं0 69 से हाल ख0नं0 231 से 234 बने हैं जो पूर्व में एक ही खेत था तथा इस खसरा नम्बर के खातेदार रेस्पोडेन्ट सं0-1 से 11 के पूर्वज हणमान व बाधुराम पि0 पन्ना के नाम दर्ज है । मौका रिपोर्ट में रेस्पोडेन्ट ने जिस तरफ रास्ता चाहा है वह मौके पर चालू नहीं है । मौका रिपोर्ट में इस बिन्दू पर कोई विवेचन नहीं किया कि जब चाहा गया रास्ता चालू नहीं है तो प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट सं0-1 किसी तरफ से आ जा रहा है तथा ख गत ख0नं0 69 से हाल ख0नं0 231 से 234 बने हैं जिसमें ख0नं0 233 , 231, व 232 की पूर्वी सींव से रास्ता दर्ज है तथा ख0नं0 234 की उत्तरी सींव से

।। के पूर्वजों की खातेदारी में दर्ज होने के बाद रेस्पोडेन्ट संख्या-। से ।। के नाम दर्ज हुआ है तो बंटवारे के समय रास्ते का प्रावधान क्यों नहीं रखा ।तथा ख0नं0 233 की खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या-2 से 6 एवं इनकी माता के नाम दर्ज है । हम यहां पर समस्त रेकार्ड का अवलोकन करने के बाद प्रकरण को अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं कि वह गत खसरा 69 एवं उससे बने हाल खसरा नम्बरों 231 से 234 के बाबत भी जांच कर यह स्पष्ट करें की जब प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता चालू नहीं है तो रेस्पोडेन्ट सं0-।/ प्रार्थी का आना जाना किस साईड से है ।इस बिन्दू को स्पष्ट रूप से मौका रिपोर्ट में उल्लेखित किया जावे ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी धोद का निर्णय दिनांक 12-12-2014 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को रिमाण्ड किया जाता है ।पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 31-8-2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय खुले सरे इजलास आज दिनांक 16.7.2018 को सुनाया गया ।

16/7/18

(जवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर